

संख्या 9860/38-2-2010-34 डब्लू0(डी)/2010

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनु-2

लखनऊ, दिनांक; 1 सितम्बर, 2010

विषय:- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबादमें योजित विशेष अपील संख्या-687/2010 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम पीताम्बर में पारित आदेश दिनांक 19.08.2010 के अनुपालन में सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या-687/2010 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम पीताम्बर में दिनांक 19.08.2010 को निम्नवत निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं।:-

"In the light of that, we are clearly of the opinion that the appeal filed by the State will have to be allowed. The employees of DRDA after 09.03.2004 will have to retire at the age of 58 years. Consequently, we hold that the view taken by the learned Single judge in the case of Kalika Prasad (Supra) that Rule 56 of the Fundamental Rules would apply so far as the employees of DRDA are concerned, does not lay down the correct law and, hence, we overrule the judgement in Kalika Prasad (supra) and all other judgements, which have taken a similar view."

चूँकि उक्त आदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कर्मियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष मानी गयी है। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कर्मियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष ही होगी।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन/आयुक्त, ग्राम्य विकास को अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
Manoj Kumar Singh
(मनोज कुमार सिंह)
सचिव, 30.9.10

संख्या:- (1) / 38-2-2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि आयुक्त, ग्राम्य विकास को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव ।